

माय
OK
आवंटनादेश संख्या-कारा/भवन-39/2011-50 दिनांक-22.08.2016 का प्रतिस्थानी
आदेश।

पत्र संख्या-कारा/भवन-39/2011....5.5
बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
भागलपुर।

पटना, दिनांक-09-11-2016

विषय:- राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-050-भूमि, मांग सं0 22, उप शीर्ष-0102-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड-P 4070000500102 विषय शीर्ष-53 02-भू-अर्जन, के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल में उपकारा के निर्माण हेतु अर्जित की गई रैयती भूमि के लिए मुआवजा राशि का भुगतान हेतु ₹14,85,41,848 (चौदह करोड़ पचासी लाख एकतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब-17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि0 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-एम-4-09/2014-4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 तथा स्थायी अनुदेश संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय, भागलपुर के पत्रांक-171 दिनांक-19.03.2015 द्वारा भेजी गयी अधियाचना के आलोक में राज्य योजना वित्तीय वर्ष-2016-17 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-050-भूमि, मांग सं0 22, उप शीर्ष-0102-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड-P 4070000500102 विषय शीर्ष-53 02-भू-अर्जन, के अन्तर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल में उपकारा के निर्माण हेतु अर्जित की गई रैयती भूमि के लिए मुआवजा राशि का भुगतान हेतु ₹14,85,41,848 (चौदह करोड़ पचासी लाख एकतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर होंगे तथा वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में राशि की निकासी जिला कोषागार, भागलपुर से की जायेगी। राशि की निकासी कर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, भागलपुर के व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) में जमा किया जायेगा तथा नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्यवाई की जाएगी। मुआवजा भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, भागलपुर की होगी।

9

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹14,85,41,848 (चौदह करोड़ पचासी लाख एकतालीस हजार आठ सौ अड़तालीस रूपये) का व्यय राज्य योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-050-भूमि, मांग सं0 22, उप शीर्ष-0102-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं एवं अन्य भवनों के निर्माण हेतु भूमि (गृह कारा विभाग) विपत्र कोड-P 4070000500102 विषय शीर्ष-53 02-भू-अर्जन, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बजट उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

4 इस योजना की आवंटित की गयी राशि का विचलन अन्यत्र नहीं किया जायेगा।

5. उक्त योजना के लिए स्वीकृत्यादेश संख्या-कारा/भवन-39/2011-48 दिनांक-16.08.2016 एवं प्रतिस्थानी स्वीकृत्यादेश संख्या-5570 दिनांक-09.09.2016 के द्वारा निर्गत है।

6. मुआवजा राशि का भुगतान ससमय करने का दायित्व जिला पदाधिकारी, भागलपुर का होगा, जो मुआवजा भुगतान समय सीमा के अंतर्गत करा कर आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-39/2011...55

पटना, दिनांक-09-09-2016

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर एवं प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- कारा/भवन-39/2011...55

पटना, दिनांक-09-09-2016

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक

कारा एवं सुधार सेवाएँ,

बिहार, पटना।